

विषय :

एफ-19-36 / 2016 / स्था / 19

विषय:- याचिका क्रमांक-9125 / 2015 द्वारा श्री रवीन्द्र कुमार डेहरिया विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

पंजी क्रमांक-305-0-

पंजी क्रमांक-305 / 2016 दिनांक 22.1.2016 शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त पत्र।

-0-

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका क्रमांक-9125 / 2015 द्वारा श्री रवीन्द्र कुमार डेहरिया विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य पीटीशन प्राप्त हुई है। जिसका संबंध अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण मण्डल, जबलपुर से संबंधित है।

अतः प्रकरण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग क्रमांक-2, जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा।

आदेशार्थ ।

अनुभाग अधिकारी,

Recd  
12/2/16

अ.स.स.

कृपया "अ" अनुमोदनार्थ

सचिव

का.प्र.

24/02/16

अ.स.स.  
अ.स.स.

24/2/16

02/02/16

आलय मध्य प्रदेश शासन, इ.स.स. 2- अनुमोदनार्थ।  
हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

अनुमोदक अधिकारी

अ.स.स.  
अ.स.स.

06/02/16

06/02/16

06/02/16

Recd  
02/2/16

मध्य प्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
आ.क्र. - 630-31-1/19  
दिनांक - 08/02/2016

म.प्र. शासन  
का विभाग

p.le

अ

05

D

(2)

डब्लोस-२ सचिवालय

विषय :

एफ-19-36 / 2016 / स्था / 19

विषय:- याचिका क्रमांक-9125/2015 द्वारा श्री रवीन्द्र कुमार डेहरिया विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

का विभाग

-0-

मुख्य दस्तावेज:-

8-7/16

प्रमाणित शादी की निवेदन  
उपरोक्त शादी का पक्ष समर्थन हेतु  
प्रमाण सिद्ध विभाग में डायरेक्ट  
रूना चोटी।

Recd  
4/5/2016

अनुसंधान

अनुसंधान

नियंत्रण

विधि विभाग

8/5/2016

8/5/2016

चन्द प्रकाश अग्रवाल  
सचिव, म.प्र.शासन  
लोक निर्माण विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
प्राप्त 5/5/2016  
10/5/2016

7/9/16

मा.प्र.शासन  
10-7-16



// आदेश //

भोपाल, दिनांक 02/02/2016

क्रमांक-एफ-19-36/2016/स्था./19, राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (भ./स.) संभाग-क-2, जबलपुर को मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक-9125/2015 द्वारा श्री रविन्द्र कुमार डेहरिया, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना..... प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
  - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजे।



//2//

9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हों।
10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकदमे है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकदमे है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यापाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार

(सुनील मंडावी)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग  
भोपाल, दिनांक 08/02/2016

पृ.क्र.-एफ-19-36/2016/स्था./19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग मध्य-परिक्षेत्र-जबलपुर।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (म./स.) संभाग-क-2, जबलपुर प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जा सके।
6. कलेक्टर-जबलपुर।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग



①

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR**

Process Id: 193454/2015

WP/9125/2015

From

Kishore Pithawe  
Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Jabalpur

for adm

Fixed for 18-01-2016

WP-DA-22

Respondent No. 1

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट  
लोक निर्माण विभाग  
५९८  
२२/१/१६

To,

The State Of Madhya Pradesh,  
Principal Secretary Public Works  
Department Vallabh Bhavan,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 05-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 9125/ 2015**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Ravindra Kumar Dehariya** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/9125/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **18-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



05-12-15

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT  
AT JABALPUR

WRIT PETITION NO. 9125 OF 2015

PETITIONER:- RAVINDRA KUMAR DEHARIYA

VERSUS

RESPONDENTS:- State of M.P. and Ors.

INDEX

S.no.	Particulars of Documents	Annexure	Pg.No.
1.	Index		1
2.	Chronological Events of the Case		2
3.	Writ petition along with affidavit		3-8
4.	List of Documents		9
5.	A copy of order dated 02.11.1989.	P-1	11-12
6.	A copy of the Representation dated 20.02.2015.	P-2	13-15
7.	Copy of order passed in W.P. No.9930/2014 dated 08.07.2014.	P-3	16-18
8.	Vakalatnama.		19

JABALPUR  
DATED: 17/06/2015

(RAGHUWANSH PRASAD MISHRA)  
ADVOCATE FOR PETITIONER

E. NO. 1060/1997

DECLARATION

That, it is declared that the petitioners have served the copy of petition together with Annexures in advance to the Advocate General's office as per Chapter X Rule 25 of M.P. High Court Rules, 2008 at 10.30am on 17.06.2015.

JABALPUR  
DATED: 17/06/2015

(RAGHUWANSH PRASAD MISHRA)  
ADVOCATE FOR PETITIONER

E. NO. 1060/1997